उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन' निकट आई.एस.बी.टी., पो0ऑ0–माजरा, देहरादून
फोन–0135–2641115 फैक्स–2641314, Website www.uerc.gov.in E-mail- secy.uerc@gov.in

सार्वजनिक सूचना

आयोग के समक्ष उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन द्वारा एच0टी0 पावर इंटेंसिव इंडस्ट्रियल (PIU) इकाइयों के बिलिंग साईकिल के विस्तार पर सुझाव आमंत्रण।

1. उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन द्वारा दिये गये प्रस्ताव के मुख्य बिंदु में HT PIU उपभोक्ताओं के बिलिंग साईकिल को मौजूदा 15 दिनों से मासिक आधार पर विस्तारित करने तथा तद्नुसार उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता, नए कनेक्शनों के जारी सम्बन्धित मामले) विनियम, 2020 के अनुसार प्रतिभूति जमा की वसूली का प्रस्ताव दिया गया है।
2. उक्त प्रस्ताव के अनुसार इसका प्रभाव राज्य के HT PIU उपभोक्ताओं पर लागू होना है, इसलिए आयोग ने टैरिफ आदेश को अन्तिम रूप देने से पूर्व, उक्त प्रस्ताव पर उपभोक्ताओं एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स से सुझाव/आपत्तियाँ/प्रतिवेदन प्राप्त करने का निर्णय लिया है।
3. अतः सम्बन्धित उपभोक्ता एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स अपने सुझाव/आपत्तियाँ/प्रतिवेदन, अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 22.04.2021 तक लिखित रूप से डाक द्वारा, ई–मेल या स्वयं उपस्थित होकर उपरोक्त पते पर आयोग के विचारार्थ प्रेषित कर सकते हैं।
4. उक्त प्रस्ताव, आयोग की वेबसाईट (www.uerc.gov.in) पर भी देखा जा सकता है।

विज्ञा0सं0–01/उविनिआ/2021–22

सचिव